

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 4 एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025

मार्च, 2025 के इक्कीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर ₹127,10,51,819/- (केवल एक सौ सत्ताईस करोड़ दस लाख इक्कावन हजार आठ सौ उन्नीस रुपये) होती हैं, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2025 के इक्कीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹127,10,51,819/- का दिया जाना।
3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2025 के इक्कीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं। विनियोग।

|             |                                                                                                              |                                                                                         |                                     |                        | अनु                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| मांग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन                                                                                            | मुख्य शीर्ष                                                                             | राशियां, जो निम्नलिखित से अधिक न हो |                        | जोड़                 |
|             |                                                                                                              | राजस्व                                                                                  | विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान      | संचित निधि पर प्रभारित |                      |
| 1           | 2                                                                                                            | 3                                                                                       | 4                                   | 5                      | 6                    |
|             |                                                                                                              |                                                                                         | ₹                                   | ₹                      | ₹                    |
| 12          | शिक्षा(माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास           |                                                                                         |                                     |                        |                      |
|             |                                                                                                              | 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण                                                        | 1,00,000                            | —                      | 1,00,000             |
|             |                                                                                                              | <b>Total</b>                                                                            | <b>1,00,000</b>                     | <b>—</b>               | <b>1,00,000</b>      |
| 16          | सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण |                                                                                         |                                     |                        |                      |
|             |                                                                                                              | 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यों का कल्याण | 4,00,000                            | —                      | 4,00,000             |
|             |                                                                                                              | <b>Total</b>                                                                            | <b>4,00,000</b>                     | <b>—</b>               | <b>4,00,000</b>      |
| 17          | लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/परिवहन/नागर विमानन                                                                |                                                                                         |                                     |                        |                      |
|             |                                                                                                              | 2216-आवास                                                                               | 127,05,51,819                       | —                      | 127,05,51,819        |
|             |                                                                                                              | <b>कुल</b>                                                                              | <b>127,05,51,819</b>                | <b>—</b>               | <b>127,05,51,819</b> |
|             |                                                                                                              | <b>कुल जोड़</b>                                                                         | <b>127,10,51,819</b>                | <b>—</b>               | <b>127,10,51,819</b> |

## सूची

| मुख्य शीर्ष | राशिया, जो निम्नलिखित से अधिक न हो   |                           | जोड़ | जोड़<br>राजस्व और पूंजीगत |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|
| पूंजीगत     | विधान सभा<br>द्वारा किए<br>गए अनुदान | संचित निधि<br>पर प्रभारित |      |                           |
| 7           | 8                                    | 9                         | 10   | 11                        |
|             | ₹                                    | ₹                         | ₹    | ₹                         |
| —           | —                                    | —                         | —    | 1,00,000                  |
| —           | —                                    | —                         | —    | 1,00,000                  |
|             |                                      |                           |      |                           |
|             | —                                    | —                         | —    | 4,00,000                  |
|             |                                      |                           |      |                           |
|             | —                                    | —                         | —    | 4,00,000                  |
|             |                                      |                           |      |                           |
|             | —                                    | —                         | —    | 127,05,51,819             |
|             | —                                    | —                         | —    | 127,05,51,819             |
|             | —                                    | —                         | —    | 127,10,51,819             |

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2024-25 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

नायब सिंह,  
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

-----

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक : 12 मार्च, 2025

डॉ० सतीश कुमार,  
सचिव।

---

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।